Registration no: (23014052023591133257) Date [illegible] Valid till [illegible]

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | BHOJPUR
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र

सेवा में

प्रधान / स्वशासकीय / प्रबंधक

NEW PATLIPUTRA CENTRAL SCHOOL
FARIDPUR MANER BIKRAM PATNA

विषय : बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के अधीन बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र।

महाशय

आपके आवेदन एवं दिनांक [illegible] और उसके क्रम में आपके द्वारा नये पदस्थापन एवं विद्यालय के लिये नए नियमित एवं जिला स्तरीय विशेषज्ञों समिति के बैठक दिनांक 24-06-2022 में लिये गए निर्णय के अनुसार मैं आपके विद्यालय NEW PATLIPUTRA CENTRAL SCHOOL FARIDPUR MANER BIKRAM PATNA [illegible] को कक्षा 1 से 8 तक अस्थायी रूप से [illegible] 23/05/2023 से 30/05/2024 अवधि के लिए औपचारिक मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रदत्त मान्यता निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन अवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल संख्या का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अन्य वंचित समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उनकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका 3 में उल्लेखित बच्चों के सम्बन्ध में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के अधीन में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की अर्हकारी राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सामान्यतः / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं वसूल किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का इंटरव्यू नहीं लिया जायेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चों के नामांकन में उनके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की निर्धारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों का हवाला दे किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जायेंगे

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के अधीन में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन में दिव्यांग बच्चों का समायोजन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में प्रदत्त निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में यथापेक्षित शैक्षणिक के criteria का निर्धारण करेंगे।

(viii) शिक्षक किसी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय कोई सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अधीन में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपालन रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 18 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अधीन नियोजन के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 10

[illegible] Both Indian and Western Boys - 10, Girls 8

[illegible] 21

[illegible] 0

[illegible]

[illegible] ALL, FOOTBALL, BASKETBALL, BADMINTON, CRICKET, HAND BALL, VOLLEYBALL, CHESS (11 O), CARROM, (Y, 999, Newspaper Magazine - 13)

11. [illegible] विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के काम में संलग्नित नहीं होगा।

12. [illegible] विद्यालय [illegible] शिक्षा तथा परीक्षा विकास कोष होगा।

13. [illegible] अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निबंधित संघ के अन्तर्गत [illegible] किसी [illegible] होगा।

14. [illegible] किसी संस्था, अन्तर्गत अथवा संबंधित [illegible] अथवा किसी अन्य संस्थान के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. [illegible] उपयुक्त शैक्षणिक कार्य [illegible] के द्वारा किया जायेगा और निबंधित नियमों के प्रावधान में उपयुक्त शैक्षणिक [illegible] की [illegible] शैक्षणिक [illegible] की [illegible] शैक्षणिक [illegible] किया जाएगा।

16. [illegible] विद्यालय को [illegible] [illegible] है। इस अधिनियम में किसी बात का [illegible] किया जाए।

17. [illegible] जिला / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अथवा अन्य [illegible] विद्यालय के द्वारा उपयोग [illegible] के [illegible] के अनुसार [illegible] की कमी के अलावा [illegible] की पूर्ति [illegible] अथवा विद्यालय अथवा में संचालित कठिनाइयों को दूर करने हेतु अथवा [illegible] विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. [illegible] के निबंधन के अतिरिक्त की किसी [illegible] की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. [illegible] अथवा अन्य [illegible]

[illegible]

29/04/2024

PRINCIPAL

Principal
New Fatiputra Central School
Faridpur, Maner bikram (Patna)